FAQs Regarding E-Post Sanctioning System

Question: E-Post Sanctioning System क्या है और login page कहां available होगा **?**

Answer: E-Post Sanctioning System में हरियाणा सरकार के सभी विभागों में पदों से सम्बन्धित स्थिति को online किया जायेगा। इसमें सम्बन्धित विभाग में कौन–कौन सी post sanctioned है, कितनी posts पर कर्मचारी/अधिकारी कार्य कर रहे है और कितने post खाली है इत्यादि की जानकारी रहेगी।

इसके अतिरिक्त यदि किसी विभाग को कोई नई post create करनी है जिसकी स्वीकृति उसे वित्त विभाग से लेनी होती है, तो यह प्रक्रिया भी अब online होगी। जिस भी विभाग को जो post sanction करवानी है, जिस कार्यालय/DDO को उस post की आवश्यकता है वह उसको online ही अपने विभाग के माध्यम से वित्त विभाग के पास भेजेगा और वित्त विभाग उस सम्बन्धित post को online sanction करेगा। यह यूजर को www.hrtreasuries.gov.in under "Budget Allocation" OR www.bamsharyana.nic.in पर available होगा।

Question: E-Post Sanctioning System का User Manual कहां पर available होगा **?**

Answer: E-Post Sanctioning System का User Manual www.hrtreasuries.gov.in under "Budget Allocation" OR www.bamsharyana.nic.in के login page पर available होगा। इस सिस्टम पर कार्य करने से पहले यूजर एक बार User Manual को जरूर पढ ले। इससे सम्बन्धित को काफी सहायता मिलेगी।

Question: E-Post Sanctioning System में login कौन कर सकता है **?**

Answer: E-Post Sanctioning System में login विभाग के DDO / ECO (Establishment Controlling Officer / ECA (Establishment Controlling Authority) अपने User ID & Password i.e. ddotaa1, ecotaa1, ecataa द्वारा करेगा। किसी भी ECO / ECA का user id उसके BCO / BCA के User ID का प्रथम अक्षर 'b' के स्थान पर 'e' लगाने से बनेगा तथा शुरूआत में BCO / BCA का password ही इसका password होगा। इस नये User ID & Password से लोगिंन करने पर सबसे पहले अपना पासवर्ड बदलना अनिवार्य होगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी विभाग का User ID bcataa है तो उसी विभाग का ECA का User ID "ecataa" होगा। पहली बार BCA / BCO अपने User Id & Password से login करेगा और इसके बाद ECA / ECO अपना password change कर सकता है।

Question: Sanction Post (Regular) और Sanction Post (Other) कॉलम में क्या डाटा एन्टर करना है **?**

Answer: यूजर Sanction Post (Regular) में वही डाटा एन्टर करेगा जितने पद विभाग में वित विभाग से regular basis पर sanctioned है। इसमें उन पदों का डाटा भी एन्टर किया जायेगा जिनकी वित विभाग ने regular basis पर भरने की sanction केवल एक निश्चित अवधी के लिये दी है।

इसके अतिरिक्त Sanction Post (Other) में उन पदों का डाटा एन्टर किया जायेगा जिसकी स्वीकृति वित विभाग से केवल contract / ad-hoc / Job Work Basis के आधार पर भरने के लिये ली गई है।

Question: Filled Post (Regular) और Filled Post (Other) में डाटा एन्टर करते समय किन बातों का ध्यान रखना है **?**

Answer: यदि किसी विभाग/कार्यालय में किसी sanctioned on regular basis पद के against यदि कोई DC rates / ad-hoc / guest / contract basis पर कोई व्यक्ति लगाया गया है तो उसकी गिनती Filled Post (Regular) में नहीं की जायेगी तथा वह पद रिक्त माना जायेगा और डाटा एन्टर नहीं करना है। उदाहरण के लिये Guest faculity यदि नियमित पद के against भरा गया है तो उसकी डाटा एन्टर नहीं करना है।

यदि किसी की भर्ती adhoc / contract / Job Work basis पर sanction post (other) में दी गई post के against हुई है तो उसका विवरण field post (other) में दिया जायेगा।

Question: यदि किसी कार्यालय में उच्च पद पर उससे निम्न स्तर के पद का कर्मचारी कार्य कर रहा हो तो उसका डाटा एन्टर करना है या नहीं **?**

Answer: हां। ऐसे कर्मचारी की उसी पद के against डाटा एन्टर किया जायेगा जिसके against उसकी भर्ती हुई है अथवा promotion हुई है। उदाहरण के लिये यदि किसी कार्यालय में एक अधीक्षक और तीन सहायक के पद नियमित रूप से स्वीकृत है और उस कार्यालय में चार सहायक लगे हुये है जिसमें से एक सहायक अधीक्षक के पद के विरूद्व वेतन ले रहा है तो उस स्थिति में अधीक्षक का पद भरा नहीं माना जायेगा। बल्कि सहायक का वह पद भरा माना जायेगा जिसके against उस सहायक की भर्ती अथवा promotion हुई है।

Question: यदि किसी कार्यालय में कोई कर्मचारी on deputaion पर कार्यरत है तो उसकी गिनती किस filled post में कहां होगी **?**

Answer: यदि किसी कार्यालय में किसी sanctioned post on regular basis के against कोई कर्मचारी on deputation पर कार्यरत है तो उस कार्यालय में वह पद filled post (regular) में भरा माना जायेगा जिसके विरूद्व deputed employee का वेतन draw हो रहा है।

Question: यदि किसी कर्मचारी / अधिकारी को किसी अन्य कार्यालय में कोई additional charge मिला हुआ है तो उस सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी की गिनती किस filled post में की जानी है **?**

Answer: यदि किसी कर्मचारी / अधिकारी को किसी अन्य कार्यालय में कोई additional charge मिला हुआ है तो उस सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी की गिनती वहां पर होगी जहां से उस सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी का वेतन draw हो रहा है।

Question: यदि किसी विभाग में कोई कर्मचारी/अधिकारी को re-employed किया गया है तो उस सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी की गिनती किस filled post में की जानी है **?**

Answer: यदि किसी विभाग में कोई कर्मचारी/अधिकारी को re-employed किया गया है तो उस सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी की गिनती उस sanctioned post regular में की जानी है जिसके against उसे re-employ किया गया है।

Question: यदि किसी विभाग में किसी पद पर sanctioned post (regular) से अधिक कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत है तो उसकी गिनती कहां होगी ?

Answer: ऐसी स्थिति में कर्मचारी / अधिकारी की गिनती sanctioned post (regular) के against ही होगी और इस कारण इस case में sanction post कम होगी किन्तु filled up post ज्यादा होगी।

Question: यदि किसी विभाग में कोई कर्मचारी अपने से किसी उच्च पद पर कार्य कर रहा है और उसी पद से अपने pay scale में salary draw कर रहा है तो उसकी गिनती कहां होगी। इसके अतिरिक्त यदि उस कर्मचारी की अपने original post में vacant जगह को नये कर्मचारी से भर दिया जाता है तो ऐसे नये कर्मचारी की गिनती कहां होगी। ?

Answer: यदि किसी विभाग में किसी पद पर sanctioned post regular से अधिक कर्मचारी / अधिकारी कार्यरत है जिसमें वह उच्च पद के विरूद्व कार्यरत है और वेतन अपने पद के अनुरूप ले रहा है तो उस स्थिति में उस कार्यरत कर्मचारी / अधिकारी की गिनती वहीं पर होगी जिस पद का वेतन वह draw कर रहा है। उदाहरण के लिये यदि किसी स्कूल में एक पद Head Master का है और चार पद JBT Teacher के है और उस स्कूल में पांच JBT Teacher कार्यरत है जिसमें एक JBT Teacher, Head Master के विरूद्व कार्यरत है और वेतन अपने पद के अनुरूप ले रहा है तो उस स्थिति में Head Master का पद रिक्त माना जायेगा और JBT Teacher की sanction post regular के कॉलम में 4 एन्टर किया जायेगा और filledup post regular के कॉलम में 5 एन्टर किया जायेगा।

Question: यदि किसी विभाग में कोई पद fix / consolidate salary पर स्वीकृत है तो वह सम्बन्धित पद सिस्टम में किस प्रकार add करना है **?**

Answer: यदि किसी विभाग में कोई Regular Post on fix / consolidate salary पर Sanctioned है तो New Post add page पर pay sacle के drop down box में fix option click करेगा।

यदि विभाग में कोई पद adhoc / contract / job work basis पर fix / consolidate salary पर sanctioned है तो उसका डाटा sanction post (others) में एन्टर होगा। इसमें pay sacle के drop down box में उस पद का regular pay scale एन्टर करना है।

Question: यदि किसी विभाग में कोई कर्मचारी/अधिकारी leave salary पर है और विभाग द्वारा किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी को leave vacancy के विरूद्व appoint कर लेता है तो वह पद क्या रिक्त माना जायेगा या fill up माना जायेगा **?**

Answer: यदि किसी विभाग में कोई कर्मचारी/अधिकारी leave salary पर है और विभाग द्वारा किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी को leave vacancy के विरूद्व appoint कर लेता है तो वह पद filled up माना जायेगा। उदाहरण के लिये यदि किसी विभाग में एक पद Deputy Supdt. का है इस पद पर कार्यरत कर्मचारी Leave Salary पर चला हुआ है। इसके बाद विभाग ने इसी पद पर किसी अन्य कर्मचारी की पदोन्नति कर दी है । Deputy Supdt. की sanction post (regular) के कॉलम में 1 एन्टर किया जायेगा और filledup post (regular) के कॉलम में 2 एन्टर किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यही Lower post जो deputy supdt की post पर promotion होने के कारण vacant होती है उसे vacant दिखाया जायेगा।